

चतितन शविरि

चरचा में क्यों?

महलि एवं बाल वकिस मंत्रालय (MoWCD) 10 से 12 जनवरी, 2025 तक राजस्थान के उदयपुर में चतितन शविरि का आयोजन कर रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश भर में महलिओं और बच्चों के वकिस और कल्याण में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर चरचा की जाएगी और उनके लिये सर्वोत्तम समाधान निकाले जाएंगे।

मुख्य बडि

- केंद्रति सत्र:
- **मशिन वातसलय:** बेहतर बाल देखभाल संस्थानों, पालन-पोषण देखभाल, गोद लेने और पश्चात देखभाल के माध्यम से बाल कल्याण को बढ़ाना।
- **मशिन शक्ति:** महलि सुरक्षा, बाल वविह की समस्या का समाधान तथा **SHe-Box पोर्टल** सहति प्रौद्योगिकी के माध्यम से महलिओं को सशक्त बनाना।
- **मशिन सकषम आंगनवाडी और पोषण 2.0:** पोषण, शक्ति, स्वास्थ्य और जागरूकता सेवाओं के केंद्र के रूप में आंगनवाडी केंद्रों को प्रबल करना।
- **खुली चरचा और सहयोगात्मक समस्या समाधान:**
- शविरि में चुनौतियों का समाधान करने तथा नवीन समाधानों को साझा करने के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ संवाद की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- प्रमुख वषियों में **आंगनवाडी केंद्रों में सुधार**, बाल कल्याण कार्यक्रमों में तेज़ी लाना तथा महलि सशक्तीकरण के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है।

SHe-Box पोर्टल

- इसे **कार्यस्थल पर महलिओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविरण) अधनियम, 2013** के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिये महलि एवं बाल वकिस मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च कया गया था।
 - पोर्टल को शकियतकर्तता के वविरण को छपाने तथा गोपनीयता सुनश्चिति करने के लिये डिज़ाइन कया गया है तथा केवल **आंतरकि समति (IC)** या स्थानीय समति (LC) के अध्यक्ष को ही इस जानकारी तक पहुँच होगी।
- शकियत पीड़ति महलि या उसकी ओर से कसी प्रतिनिधि द्वारा दर्ज की जा सकती है। इस प्रक्रिया में काम की स्थति, नाम, फोन नंबर और ईमेल जैसी बुनियादी जानकारी की आवश्यकता होती है।
 - यदि कार्यस्थल का IC या LC पोर्टल पर पंजीकृत है, तो शकियतें स्वचालति रूप से कार्रवाई के लिये अग्रेषति कर दी जाती हैं।
- पोर्टल में वभिन्न प्रशासनकि स्तरों पर नोडल अधिकारियों के लिये एक मॉनटरिंग डैशबोर्ड शामिल है, जसिसे दर्ज, नपिटाई गई और लंबति शकियतों की संख्या पर नज़र रखी जा सके।
 - अधनियम के तहत जाँच के लिये 90 दिन का समय नरिधारति है।